I 3481/21

BECHAN LAL
LICENCE No-31

बेचनलाल

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Checked by
Locked by

Certificate No.	:	IN-UP66134701724927T
Certificate Issued Date	:	13-Dec-2021 03:32 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14564304/ SIRAULI GHAUSPUR/ UP-BNK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14564304224571622988087
Purchased by	:	VIRENDRA KUMAR S S S BY MANEGER MANISH KUMAR SINGH
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	GATA NO-1068 SITUATED AT VILL- GAJIPUR PAR-DARIYABAD TEHSIL-SIRAULI GAUSPUR DISTT-BBK
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAMARPIT M V G BY MANEGER MANISH KUMAR SINGH
Second Party	:	VIRENDRA KUMAR S S S BY MANEGER MANISH KUMAR SINGH
Stamp Duty Paid By	:	VIRENDRA KUMAR S S S BY MANEGER MANISH KUMAR SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	29,000 (Twenty Nine Thousand only)

Please write or type below this line

(1)

लीजडीड

0002641031

Statutory Alert:
1. [illegible]
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

लीजडीड

मासिक किराया–8000 औसत वार्षिक किराया–96000 मालियत–576000

समय अवधि–30 वर्ष ई–स्टाम्प–29000 रू0

1–भूमि का प्रकार– अकृषिक भूमि

2–परगना– दरियाबाद

3–ग्राम– गाजीपुर (विकासशील)

4–सम्पत्ति का विवरण– गाटा सं0 1068 / 1.200 हे0 मे से 0.800 हे0 यानी 8000 वर्ग मीटर होता है को प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को किराये पर दिया है।

चौहद्दी

पूरब में	–	चकमार्ग
पश्चिम में	–	खेत मयाराम
उत्तर में	–	रामार्पित महाविद्यालय
दक्षिण में	–	बाग दीनानाथ आदि

प्रथम पक्ष (लीज डीड दाता)

रामार्पित महाविद्यालय गाजीपुर बाराबंकी, प्रबन्धक–श्री मनीष कुमार सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (आधार नं0 XXXXXXXX0073) पैन नं0 BKYPS5455E मो0 नं0 9005494856 निवासी पूरेभीटी मजरे गाजीपुर वाारिद हाल निवासी बी 131 पटेलनगर दशहराबाग नवाबगंज जिला बाराबंकी।

द्वितीय पक्ष (लीज डीड ग्रहीता)

वीरेन्द्र कुमार सिंह शिक्षण संस्थान ग्राम व पो0 गाजीपुर जिला बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक–श्री मनीष कुमार सिंह पुत्र वीरेन्द्र कुमार सिंह (आधार नं0 XXXXXXXX0073) पैन नं0 BKYPS5455E मो0 नं0 9005494856 निवासी पूरेभीटी मजरे गाजीपुर वारिद हाल निवासी बी 131 पटेलनगर दशहराबाग नवाबगंज जिला बाराबंकी।

जो कि हम दोनो पक्ष भारतीय नागरिक है तथा दोनो पक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं है प्रथम पक्ष एक किता आराजी मौजा गाजीपुर परगना दरियाबाद तहसील सिरौलीगौसपुर जिला बाराबंकी का जरिये बैनामा दिनांक 04.04.2012 दस्तावेज नम्बर पुस्तक सं0–1 पृष्ठ सं0–273/296 पर कम सं0–745 के द्वारा मालिक व काबिज है। जो तमाम वादो से पाक व साफ है जिसे मुकिर को हर तरह से मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है जोकि उपरोक्त आराजी में रकबा 1.200 हे0 मात्र जिसके 8000 वर्ग मीटर का लीज डीड प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनांक 13.12.2021 ई0 से 12.12.2051 तक के लिये तकमील की जा रही है जिसके अवधि 30 वर्ष के लिये मान्य होगी।

1. यह कि 30 वर्ष का लाभान्स मु0 576000 रू0 होगा जो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से सम्पूर्ण 30 वर्ष का लाभान्स प्रीमियम एक मुस्त मु0 576000 रू0 वीरेन्द्र कुमार सिंह शिक्षण संस्थान बैंक ऑफ बड़ौदा बाराबंकी के चेक द्वारा प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिया है लाभान्स प्रथम पक्ष व सोसाईटी के सभी सदस्यों को देना सहज स्वीकार है इसके अतरिक्त अन्य कोई किराया देय नहीं है।
2. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा सोसाईटी के सभी सदस्यों को बुलाकर यह बताया गया है कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि व भवन लीज डीड पर लेने के लिये तैयार है। आपसी सहमति के आधार पर सभी सदस्यों की सहमति से लीज निष्पादित की जा रही है उपरोक्त लीज के सम्बंध में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य जो शर्त हुई है उसे लिपिबद्ध किया जा रहा है। ताकि सनद रहे व समय पर काम आवे।

3. यह कि दोनो पक्ष सम्पत्ति हस्तानान्तरण अधिनियम 1882 एवं संशोधन (Transfer of Property Act 1882 & Amendment) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006, एवं सभी संशोधन अथवा जो भी कानून/नियम राज्य व भारत सरकार द्वारा समय पर लागू किये जायेंगे उनमें लीज हेतु निहित सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।
4. यह कि भारत के किसी न्यायालय में उपरोक्त भूमि के सन्दर्भ में कोई विधिक कार्यवाही लम्बित नहीं है जो कि उक्त भूमि को लीज पर देने अथवा लेने में कोई बाधक हो।
5. यह कि ये लीज 13.12.2021 दिन सोमवार से 30 वर्षो हेतु है 30 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त लीज स्वतः समाप्त हो जायेगी जो 30 वर्ष से अनाधिक नहीं है।
6. यह कि उक्त भूमि पर लीज की तिथि से पूर्व एवं लीज के दिनांक तक किसी सरकारी गैर सरकारी अथवा व्यक्तिगत वित्तीय देनदारियां शेष नहीं है यह भूमि सभी प्रकार के भार एवं बाधा से मुक्त है पाक–साफ है।
7. यह कि द्वितीय पक्ष लीज ग्रीहता को इस भूमि को किसी अन्य पक्ष को लीज पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर उपलब्ध भवन का अथवा निर्माण कराकर शैक्षिणिक संस्थान छात्रावास , अस्पताल आदि सभी सम्बन्धित संस्थाओं से मान्यता/अनुमोदन/सम्बद्धता/पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त कर संचालन कर सकेगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर शैक्षिणिक संस्थान छात्रावास, अस्पताल के संचालन के कम में भवन निर्माण एवं शैक्षिणिक संस्थान संचालन हेतु सभी विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

आवेदन सं०: 202100899004453

पट्टा विलेख/ कबूलियतनामा

बही सं०: 1	रजिस्ट्रेशन सं०: 3481	वर्ष: 2021

प्रतिफल- 576000 स्टाम्प शुल्क- 29000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 5760 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 5820

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह सिंह सिक्षण संस्थान गाजीपुर द्वारा
मनीष कुमार सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: नि० पूरेभीटी मजरे गाजीपुर वारिद हाल नि० बी 131 पटेलनगर दशहराबाग नवाबगंज बाराबंकी।

श्री. वीरेन्द्र कुमार सिंह सिंह सिक्षण संस्थान गाजीपुर द्वारा मनीष कुमार सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 13/12/2021 एवं 04:38:36 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मीनाक्षी श्रीवास्तव .
उप निबंधक :सिरौली गौसपुर
बाराबंकी
13/12/2021

राजीव कुमार .
निबंधक लिपिक

उपनिबन्धक कार्यालय सिरौली गौसपुर, बाराबंकी

10 यह कि लीज की तिथि से एवं उसके बाद लीज की अवधि में उक्त सम्पत्ति से सम्बंधित सभी विधिक टैक्स/शुल्क जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष उत्तरदायी एवं बाध्य होगा।

11. यह कि प्रथम पक्ष की आवश्यकता यदि द्वितीय पक्ष को किसी भी विधिक कार्य सरकार एवं स्वामित्व के सम्बंध में प्रमाण प्रस्तुत करने की पड़ती है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ उपस्थित होकर सम्पूर्ण सहयोग करेगा। एवं उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण करायेगा।

इस वास्ते प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को यह लीज डीड अपनी राजी खुशी व सही होस हवास में तहरीर कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। जिसे सुन व समझकर स्वीकार किया गया विदित हो कि दिनांक 16.04.2013 ई0 को प्रथम पक्ष ने ग्राम गाजीपुर गाटा सं0 1068/1.200 है का पूर्ण भाग जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय सिरौलीगौसपुर द्वारा वाद सं0 35 दिनांक 16.04.2013 को अकृषिक भूमि घोषित करा चुका है उक्त लीज डीड की फोटोप्रमाणित रूबरू गवाहान के कथनानुसार स्वयं प्रारूपकर्ता ने की है। उक्त प्रलेख के कम्प्यूटर प्रमाणी लागू होने के कारण पक्षकारों ने इच्छानुसार लेखक द्वारा प्रारूप तैयार

आवेदन सं०: 2021008998004453

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 3481 वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री रामार्पित महाविद्यालय गाजीपुर बाराबंकी के द्वारा मनीष कुमार सिंह , पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह

निवासी: नि० पूरेभीटी मजरे गाजीपुर वारिद हाल नि० बी 131 पटेलनगर दशहराबाग नवाबगंज बाराबंकी।

व्यवसाय: कृषि

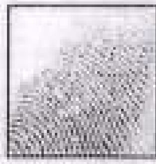

पट्टा गृहीता: 1

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह सिंह शिक्षण संस्थान गाजीपुर के द्वारा मनीष कुमार सिंह , पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह

निवासी: नि० पूरेभीटी मजरे गाजीपुर वारिद हाल नि० बी 131 पटेलनगर दशहराबाग नवाबगंज बाराबंकी।

व्यवसाय: कृषि

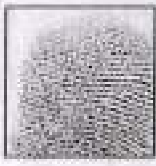

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सत्यनाम , पुत्र श्री रामेश्वर

निवासी: निवासी पूरेभीटी मजरे गाजीपुर परगना दरियाबाद तहसील सिरौलीगौसपुर जिला बाराबंकी।

व्यवसाय: कृषि

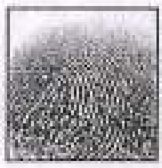

पहचानकर्ता : 2

श्री पंकज कुमार शुक्ला, पुत्र श्री बृजकिशोर शुक्ला

निवासी: निवासी पूरेमिश्री मजरे गाजीपुर परगना दरियाबाद तहसील सिरौलीगौसपुर जिला बाराबंकी।

व्यवसाय: कृषि

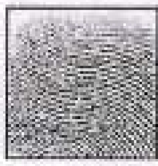

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

मीनाक्षी श्रीवास्तव .
उप निबंधक : सिरौली गौसपुर
बाराबंकी

राजीव कुमार .
निबंधक लिपिक

कर कम्प्यूटर द्वारा टाईप कर तैयार किया है। विदित हो कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व गवाहान के पहचान के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है किरायानामा का स्टाम्प मु0 29000 रू0 ई–स्टाम्प सं0 IN-UP66134701724927T

तहरीर तारीख–13.12.2021

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

सत्यनाम

गवाह–सत्यनाम पुत्र रामेश्वर
निवासी पूरेभीटी मजरे गाजीपुर परगना दरियाबाद
तहसील सिरौलीगौसपुर जिला बाराबंकी।
मो0 नं0 6394933637 आधार नं0 XXXXXXXX6984

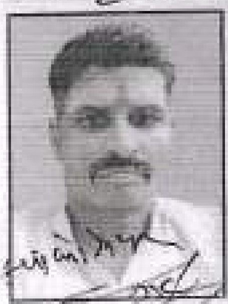

पंकज कुमार शुक्ल

1 गवाह–पंकज कुमार शुक्ला पुत्र बृजकिशोर शुक्ल
निवासी ग्राम पूरेमिश्री पो0 गाजीपुर
तह0 सिरौलीगौसपुर जिला बाराबंकी।
मो0 नं0 9695075400 आधार नं0 XXXXXXXX9647

U.P.4548/2001

फोटोप्रमाणितकर्ता
प्रमोद सिंह एडवोकेट
तहसील सिरौलीगौसपुर ,बाराबंकी।

आवेदन सं०: 202100899004453

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2204 के पृष्ठ 399 से 412 तक
क्रमांक 3481 पर दिनाँक 13/12/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मीनाक्षी श्रीवास्तव
उप निबंधक : सिरौली गौसपुर
बाराबंकी
13/12/2021